



- 2204 8476 &22824354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

C.S.M. Marg,

औ. सं. एवं क. अन्भाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन AnushaktiBhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

अप्रैल April 24, 2018

सं.No. 7/13/2017/IR&W/5289

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : यूपम-डीएई सेंटर फार एक्सीलेंसी इन बेसिक साइन्सेस (यूपम-डीएई-सीईबीएस), मुंबई के

कर्मचारियों के लिए सीएचएसएस सुविधाओं का विस्तार।

Subject: Extension of CHSS facilities to employees of UM-DAE Centre for

Excellence in Basic Sciences (UM-DAE CEBS), Mumbai.

अधोहस्ताक्षरी को यूएम-डीएई-सीईबीएस के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सीएचएसएस सुविधाओं का लाभ देने हेतु इस विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 03/11/2017 के पत्र संख्या यूएम-डीएई सीईबीएस/डायरेक्टर/1140/ओएफ 2017 तथा दिनांक 15/03/2018 के पत्र संख्या यूएम-डीएई सीईबीएस/456/ओएफ 2018 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

The undersigned is directed to refer to letters No. UM-DAE CEBS/Dir/1140/of 2017 dated 03/11/2017 and No.UM-DAE CEBS/456/of 2018 dated 15/03/2018, seeking the approval of the Department for extension of CHSS benefits to the employees and their family members.

2. इस मामले की जाँच की गई है तथा विभाग के समक्ष प्राधिकारी ने आपके उपर्युक्त पत्र में यथा प्रस्तावित आपके कार्यालय के 12 कर्मचारियों एवं उनके परिवार के पात्र सदस्यों को निम्नलिखित शर्तों पर सीएचएसएस सुविधाओं का लाभ देने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

The matter has been examined and competent authority in the Department has approved to extend the CHSS facilities to 12 employees of your office and their eligible family members, as proposed in your above letter dated 15.3.2018 subject to the following conditions:-

(a) इय योजना में शामिल होने के लिए पदाधिकारियों द्वारा एक विकल्प दिया जाएगा।

An option will be exercised by the officials for admission to the Scheme.

- (b) यूएम-डीएई सीईबीएस, मुंबई सीएचएसएस के तहत लिए जाने वाले उपचार के लिए प्रति हितग्राही प्रतिव्यक्ति वार्षिक व्यय के बराबर की रकम इस योजना में भुगतान करेगा। UM-DAE CEBS will pay in advance to the Scheme, an amount equivalent to annual per capita expenditure per beneficiary, for the treatment taken under Mumbai CHSS.
- (c) यूएम-डीएई सीईबीएस की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पदाधिकारियों से अंशदान की रकम की वस्त्री करें और इसे अपने पास रखें।

 It shall be the responsibility of UM-DAE CEBS to recover from the officials the amount of subscription which will be retained by UM-DAE CEBS.
- (d) इस योजना में शामिल किए गए पदाधिकारी पऊवि के सीएचएसएस के नियमों एवं विनियमों के अधीन शासित होंगे।

Officials admitted to the Scheme will be governed by the rules and regulations of CHSS of DAE.

(अशोक बी. गेरीरा Ashok B. Gerira) अवर सचिव (आईआर एण्ड डब्ल्यू)Under Secretary (IR&W)

डा. विमल के. जैन Dr. Vimal K. Jain निदेशक Director यूएम-डीएई सेंटर फार एक्सीलेंस इन बेसिक साइन्सेस UM-DAE Centre for Excellence in Basic Sciences सीईबीएस बिल्डिंग CEBS Building यूनिवर्सिटी आफ मुंबई University of Mumbai विद्यानगरी कैम्पस Vidyanagari Campus सांताक्रुज (पूर्व) Santacruz(E) मुंबई Mumbai - 400 098

- Copy to :(1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
 - (2) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
 - (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Secretary, DAE and Chairman, AEC
 - (4) संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा) के वैयक्तिक निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
 - (5) प्रशासनिक अधिकारी-III,बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC